



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937

No. 56]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 62(अ).- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापटनम मेगा शहर के केन्द्र बिन्दु में अवस्थित है और 83.04' से 83.20' देशांतर और 17.34' से 17.47' अक्षांश के बीच 7139 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, अभयारण्य में जैव-विविधता बहुत समृद्ध हैं जहां 73 वृक्ष प्रजातिया, जड़ी-बूटियों तथा झाड़ियों की 39 प्रजातियों और लताओं की 18 प्रजातियों तथा घासों की 7 प्रजातियों, 23 स्तनपायी प्रजातियों, सरीसृपों की 7 प्रजातियों सहित पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं।

और, अभयारण्य में वनस्पतिजात की बड़ी विविधता है और झाड़ी वाले जंगल, फिक्स बंधलैसिस, अकासिया ल्यूकोफोलिया, अकासिया चुद्रां, सैपिंडस इमारजिनेट्स और रिंघटिआ टिंक्टोरिया इत्यादि इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं ।

और, क्षेत्र में प्राणी-जात की बहुत विविधता है जिसमें तेंदुआ, भालू, जंगली भालू, सांभर, बार्किड डियर, माउस डियर, चितकबरा हिरण, सियार और जंगली कुत्ता शामिल हैं ।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, विशाखापटनम के संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के चारों ओर के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है और उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) कांबलकोंडा अभयारण्य की सीमा से 4.33 किलोमीटर तक के विस्तार सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के जिला विशाखापटनम में पारिस्थितिक संवेदी जोन 30.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और जिसमें 2 मंडल यानि आनन्दापुरम और छिनांगधिली जिला विशाखापटनम के 14 ग्राम सम्मिलित हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 4.33 किलोमीटर की सीमा तक कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य तक फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में वर्णित है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के साथ अक्षांश-देशांतर का मानचित्र उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;

- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ।
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना,
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) वर्षा जल संचय, और
- (v) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कोई नए उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां, आयल ड्रिलिंग और निकर्षण।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां, आयल ड्रिलिंग और निकर्षण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर भीतर प्रतिषिद्ध होगी; परंतु खनन, आयल ड्रिलिंग और निकर्षण विनियमित रीति में पारिस्थितिक संवेदी जोन के 1 किलोमीटर बाहरी सीमा तक विनियमित तरीके से अनुज्ञात किया जा सकेगा; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत, सिचाई परियोजनाओं और थर्मल परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे;
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु स्थानीय व्यक्ति पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने आवासीय उपयोग हेतु अपनी भूमि में संनिर्माण किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगे ।</p> <p>(ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित होंगे तथा लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से उनके प्रदूषण को कम किया जाएगा । परंतु और यह भी कि अधिसूचना की तारीख को संनिर्माण के अधीन विद्यमान बहुमंजिली और गैर बहुमंजिली भवन लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।</p> <p>(ग) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय लोगों के लिए संनिर्माण कार्य अनुज्ञात किया जाना आवश्यक होगा और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।</p> <p>(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।</p> <p>(ङ) विशाखापटनम शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के विकास योजना में आंचलिक महायोजना को समाकलित करेगा ।</p>
(12)	वृक्षों की कटाई ।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी;</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी;</p> <p>(ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।</p>
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	<p>(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।</p> <p>(ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।</p> <p>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।</p>
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना ।	विशाखापटनम शहरी विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।

(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्साव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(23)	वन उत्पादों और गैर कास्ट वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	पोलिथीन के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एकवाकल्चर और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. **माननीय सचिव-केंद्रीय सरकार** पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी माननीय सचिव के लिए एक माननीय सचिव का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर, विशाखापटनम - अध्यक्ष

(ख) गैर सरकारी संघठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(घ) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेडक - सदस्य ;

(ङ) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार/मुख्य शहरी योजनाकार/नगरी योजनाकार - सदस्य;

(च) उप-वन संरक्षक (अभयारण्य का भारसाधक), विशाखापटनम - सदस्य सचिव

6. निर्देश निबंधन

(1) माननीय सचिव इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को माननीय सचिव करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. स. 25/53/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-1

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण:

क से ख: यह मिंडीवानीपलेम ग्राम के उत्तर-पूर्व में 17.87953° उत्तरी ओर 83.31665° पूर्वी निर्देशांकों से लगे स्थल से शुरू होता है। यह सीमा रेखा एनएच-38 के किनारे से जाती है और गंभीरम रिजर्वार के समीप दिलोक्स के पीछे से गुजरकर 17.87368° उत्तरी और 83.36599° पूर्वी निर्देशांक से लगे स्टेशन 'ख' को छूती है। क से ख स्टेशन की कुल दूरी 6.985 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि 200-780 मीटर लंबी है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की दूरी 200 मीटर है।

ख से ग: यह रेखा पारादेसीपलेम ग्राम से होकर एनएच-5 और उत्तर 17.85700° पूर्वी 83.36642° के निर्देशांकों से स्टेशन सं. ग तक अभयारण्य सीमा के साथ-साथ गुजरती है। स्टेशन ख से ग की दूरी कि.मी. 1.854 है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की लम्बाई 140-308 मीटर है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।

- ग से घ:** यह सीमा रेखा बोरा वनीयापलेम गांव के पीछे से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती है और देवीमेढ्रा के चारों तरफ होकर उत्तर 17.83320° पूर्व 83.32771° निर्देशांकों के साथ स्टेशन घ पर पहुंचती है जो कोमाडी गांव के पीछे स्थित चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित है। ग से घ स्टेशन की कुल दूरी 5.469 किलोमीटर है। पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र की वित लम्बाई 100-690 मीटर है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।
- घ से ड :** यह रेखा पट्टा भूमियों से होकर दक्षिण पूर्वी दिशा में और कोमाडी, रेवालापलेम ग्रामों की खाली भूमियों से होकर जाती है जिसमें पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और बाबा प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान शामिल हैं तथा यह उत्तर 17.79258° पूर्व 83.35585° निर्देशांकों से हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी एवं प्राइवेट-लेआउट्स से होकर गुजरती है। घ से ड स्टेशन की कुल दूरी 5.121 किलोमीटर है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की लंबाई 100-286 मीटर है संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 100 मीटर है।
- ड से च:** रेखा एनएच-5 के दक्षिण की ओर से उत्तर दिशा की ओर गुजरती है और सीथाकोंडा आरक्षित वन की सीमा से होकर गुजरती है जिसमें इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापटनम शामिल है, और उ. 17.75352° पू. 83.35258° के निर्देशांकों से स्टेशन 'च' में इंडाडा ग्राम के परिसर से होकर गुजरती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 100-1360 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 100 मीटर है।
- च से छ:** यह रेखा सीथाकोंडा आरएफ रविन्द्र नगर, आरीलोवा कॉलोनियों के दक्षिण में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और उ. 17.76622° पू. 83.30101° के निर्देशांको से मुडासरलोवा रिजर्वार में स्टेशन 'छ' पर पहुंचती है। स्टेशन च से छ की कुल दूरी कि.मी. 6697 है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 127-1280 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।
- छ से ज:** यह रेखा, पाईन एप्पल कॉलोनी और दारापलेय के पीछे पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और बीआरटीएस को कवर करते हुए पाटा अडाविवरम जंक्शन को छूती है तथा उ. 17.77881° पू. 83.25546° के निर्देशांकों से स्टेशन ज को छूती है। ज से झ स्टेशन की कुल दूरी 3.375 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 240-418 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।
- ज से झ:** रेखा, येराकोंडा आरएफ सीमा को छूते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है और पश्चिमी सीमा कंबलाकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा से गुजरती है जिसमें दब्बांदा, मन्नेपलेम, गोल्लालापलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम ग्राम शामिल हैं और उ.17.84462° पू. 83.27127° के निर्देशांकों पर स्टेशन-1 को छूती है जो कांबलकोंडा एक्सटेंशन, आरएफ का स्टेशन सं. 2 है। स्टेशन ज से झ की कुल दूरी 8.513 किमी है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई -1782386 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की औसत मध्य दूरी 200 मीटर है।
- झ से ज:** यह रेखा, ममिडिलोवा ग्राम को पीछे छोड़ते हुए स्टेशन सं. 7 तक कांबलकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा के साथ-साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और उ. 17.85074° पू.83.30030° के निर्देशांकों पर डिब्बामीडिपलेम ग्राम के ओवर हेड टैंक पर स्टेशन ज को छूती है। झ से ज स्टेशन तक की कुल दूरी-3.190 मीटर है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 604-2003 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।
- ट से ठ:** यह रेखा, फूटहिल्स के साथ-साथ के बालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के लगभग समानांतर उत्तरी दिशा में जाती है और उ. 17.87953° पू. 83.31665° के निर्देशांकों पर स्टेशन क पर पहुंचती है। ट से ठ स्टेशन तक की कुल दूरी 3.80 किमी. है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 216-578 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है।


उपाबंध-II

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पड़ने वाले गांवों की सूची

1. आनंदपुरम मंडल:-बोयापलेम, पारादेसिपलेम, दब्बांडा, गोल्लालापलेम, गंडरेडिपलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम, मन्नेपलेम और डिब्बामीडिपलेम ।
2. चिनागचिली मंडल:-लटचकोडुपलेम, येनडाडा, आरीलोवा, डारापलेम और अडिविवारम।

उपाबंध-III

अक्षांश- देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



कांबलकोडा वन्यजीव अभयारण्य का अक्षांश और देशान्तर

क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

कांबलकोडा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश-देशान्तर

क्रम सं.	नाम	अक्षांश	देशान्तर
1	ए	17.87692	83.31600
2	बी	17.87368	83.36599
3	सी	17.85700	83.36642
4	डी	17.83320	83.32771
5	ई	17.79258	83.35585
6	फ	17.75352	83.35258
7	जी	17.76622	83.30101
8	एच	17.77881	83.25546
9	आई	17.84462	83.27127
10	जे	17.85074	83.30030

उपाबंध IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 62(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary is situated in the heart of Visakhapatnam Mega City in Andhra Pradesh and is spread over an area of 7139 hectares between 83.04' to 83.20' Longitudes and 17.34' to 17.47' Latitudes;

AND WHEREAS, the Sanctuary maintains very rich bio-diversity comprising 73 tree species, 39 species of herbs and shrubs, and 18 species of climbers, 2 species of Bamboos and 7 species of grasses, 23 mammal species, 7 species of reptiles and more than 90 species of birds have been documented from the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary harbours large variety of flora and is characterised by a scrub jungle the major tree species of the area are Ficus banghensis, Acacia lucophloea, Acacia chundra, Sapindus emarginatas, and Wrightia tinctoria etc;

AND WHEREAS, the area harbours a rich faunistic diversity which includes, Panther, Bear, Wild Boar, Sambhar, Barking Deer, Mouse Deer, Spotted Deer, Jackal, and Wild Dog;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of Kambalakonda Wildlife Sanctuary, Visakhapatnam as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or/and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to 4.33 kilometers from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the Kambalakonda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

- 1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 30.51 square kilometers in Visakhapatnam District of Andhra Pradesh and includes 14 villages of 2 Mandals viz. Anandapuram and Chinagadhili in Visakhapatnam District.
- (2) The extent of Eco-sensitive Zone varies up to 4.33 kilometer from the boundary of Kambalakonda Wildlife Sanctuary.
- (3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II**.
- (4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III**;
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final

notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

- (2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Municipal,
 - (vi) Revenue,
 - (vii) Agriculture
 - (viii) State Pollution Control Board,
 - (ix) Irrigation, and
 - (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads.
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Andhra Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying, crushing units, oil drilling and dredging.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units, oil drilling and dredging shall be prohibited within 1 kilometer from the boundary of the protected area: Provided that mining, oil drilling and dredging may be permitted beyond 1 kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone in a regulated manner. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft,	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

	hot-air balloons.	laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per applicable laws.
Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with Tourism master Plan and national Tiger Conservation authority.
11	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub - paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any: Provided further that existing multistoried and non-multistoried buildings, as on date of notification, under construction may be allowed as per applicable rules and regulations . (c) Beyond one kilometer from the boundary of the protected area upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan (e) The Visakhapatnam Urban Development Authority shall integrate the Zonal master Plan into the development plan of the area.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for

		industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Widening and strengthening of existing roads shall be done as per plans of Visakhapatnam Urban Development Authority, with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25.	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc., shall be promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:—

(a) District Collector, Visakhapatnam

—Chairman

- (b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case —Member
- (c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case —Member
- (d) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak —Member.
- (e) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner —Member.
- (f) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Visakhapatnam —Member-Secretary.

6. Terms of Reference:-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/53/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

- A to B:** Starting from a point with co-ordinates N 17.87953⁰ E 83.31665⁰ E on the North- East of Mindivanipalem Village. A line runs along the SH-38 and passes behind hillocks adjacent to Gambhiram Reservoir and touches the station 'B' with co ordinates N 17.87368 E 83.36599. The total distance from A to B station is 6.985 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 200-780

mtrs on along the length. The proposed Eco-sensitive zone distance is 200 mtrs surrounding the protected area excluding the present existing State and National highways road.


- B to C:** The line runs along the NH-5 passing through Paradesipalem Village and along Sanctuary boundary upto station no 'C' with co-ordinates N 17.85700⁰ E 83.36642⁰. The total distance from B to C station is 1.854 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 140-308 mtrs on along the length. The proposed Eco-sensitive zone distance is 100 mtrs surrounding the protected area.
- C to D:** The line runs South westerly direction behind Boravaniapalem Village and runs around the Devimetta and reaches at station 'D' with co-ordinates N17.83320⁰ E 83.32771⁰ near Sri Chaitanya Engineering College behind Kommadi Village. The total distance from C to D station is 5.469 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 100-690 mtrs on along the length. The proposed Eco-sensitive zone distance is 100 mtrs surrounding the protected area.
- D to E:** The line runs South Easterly direction runs through patta lands and vacant lands of Kommadi, Revallapalem Villages which includes Police Training Centre and Baba Institute of Technology and Sciences and passes through Housing Board Colony and Private layouts with co-ordinates N 17.79258⁰ E 83.35585⁰. The total distance from D to E station is 5.121 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 100-286 mtrs on along the length. The proposed distance is 100 mtrs surrounding the protected area.
- E to F:** The line runs north along NH-5 Southerly and runs along the boundary of Seethakonda Reserve Forest which includes Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam and passes through outskirts of Endada Village at station 'F' with co-ordinates N 17.75352⁰ E 83.35258⁰. The total distance from E to F station is 6.335 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 100-1360 mtrs on along the length. The proposed distance is 100 mtrs surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.
- F to G:** The line runs Westerly direction all along the Southern boundary of Seethakonda RF Ravindranagar, Aarilova Colonies and reaches at station 'G' at Mudasarlova Reservoir with co-ordinates N 17.76622⁰ E 83.30101⁰. The total distance from F to G station is 6.692 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 127-1280 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.
- G to H:** The line runs Westerly direction behind Pineapple colony and Darapalem and touches Pata Adavivaram Junction covering BRTS roads and touches station H with co-ordinates N 17.77881⁰ E 83.25546⁰. The total distance from G to H station is 3.375 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 240-418 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.
- H to I:** The line runs Northerly direction touching Yerrakonda RF boundary and runs along the Western boundary Kambalakonda Extn RF boundary which includes Dabbanda, Mannepalem, Gollalapalem, Malapalli, Appikondapalem Villages and touches Station I which is station no.1 of Kambalakonda Extn., RF with co-ordinates N 17.84462⁰ E 83.27127⁰. The total distance from H to I station is 8.513 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 178-2386 mtrs on along the length. The mean distance is 200 mtrs surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.
- I to J:** The line runs Easterly direction along the Kambalakonda Extn RF boundary upto Station no.7 leaving Mamidilova Village behind and touches Station J at over head tank of Dibbameedipalem Village with co-ordinates N 17.85074⁰ E 83.30030⁰. The total distance from I to J station is 3.190 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 604-2003 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.
- J to A:** The line runs Northerly direction almost all parallel to Kambalakonda Wildlife Sanctuary Boundary along the foothills reaches Station A with co-ordinates N 17.87953⁰ E 83.31665⁰. The total distance from J to A station is 3.80 Kms. The Range of radius of the Eco-Sensitive zone is 216-578 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

1. Anandapuram Mandal:—Boyapalem, Paradesipalem, Dabbanda, Gollalapalem, Gandreddipalem, Malapalli, Appikondapalem, Mannepalem and Dibbameedipalem.
2. Chinagadhili Mandal:—Latchakodupalem, Yendada, Aarilova, Darapalem and Adivivaram.

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes



Lat-Long of Kambalakonda Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

Lat-Long of Kambalakonda Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name	Latitude	Longitude
1	A	17.87692	83.31600
2	B	17.87368	83.36599
3	C	17.85700	83.36642
4	D	17.83320	83.32771
5	E	17.79258	83.35585
6	F	17.75352	83.35258
7	G	17.76622	83.30101
8	H	17.77881	83.25546
9	I	17.84462	83.27127
10	J	17.85074	83.30030

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.